कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,उज्जैन(म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक– 297 /दो–12–1/26 (फा.45) उज्जैन, दिनांक..... 21 APR 2026

दिनांक 18.05.2026 से 12.06.2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को मिलने वाले **एक सप्ताह** के विशेष अवकाश का लाभ लिए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि :–

1– **विशेष अवकाश अधिकतम 01 सप्ताह का दिया जावेगा, जो सोमवार से रविवार तक निरंतर स्वीकृत किया जावेगा। टुकड़ो–टुकड़ो में स्वीकृत नहीं किया जावेगा।**

2– कर्मचारियों द्वारा यथासंभव पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान उक्त विशेष अवकाश हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जावे। साथ ही आपस में सामंजस्य रखते हुए, इस प्रकार अवकाश लिया जावें कि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हो।

3– अवकाश पीठासीन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा अनुशंसित अवधि का ही दिया जावेगा, किंतु पीठासीन/प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा के बाद ही अवकाश इस प्रकार स्वीकृत किया जावेगा कि जिससे न्यायालय/अनुविभाग के दैनिक कार्य प्रभावित न हो।

4– अवकाश आवेदन पत्र बार–बार परिवर्तित कर संशोधन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

5– पीठासीन अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण को भी सूचित किया जाना उचित होगा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण के आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित/अनुशंसित करें, कि स्वयं के अवकाश काल में प्रत्येक दशा में न्यायालय में प्रस्तुतकार/क्रिमिनल रीडर एवं स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, जिससे न्यायालय का कार्य प्रभावित न हो। इसी प्रकार अनुविभागों में भी कार्य की सुविधा के अनुसार एक अथवा अधिक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

6– तहसील न्यायालय खाचरौद/नागदा/बडनगर/महिदपुर/तराना में नजारत अनुविभाग एवं प्रतिलिपि अनुविभाग में पदस्थ नायब नाजिर/सहायक प्रतिलिपिकार के अवकाश अवधि में उनके कार्य किसके द्वारा संपादित किया जावेगा, इसका उल्लेख अवकाश आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से करें।

7– ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में विशेष अवकाश के पूर्व में अथवा पश्चात् में (अपरिहार्य कारण को छोड़कर) अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

8– **दिनांक 04.05.2026** के पश्चात् अपरिहार्य कारण को छोड़कर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेगें तथा एक बार आवेदित अवकाश स्वीकृत हो जोन के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

9– नैमेत्तिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं ऐसे तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी **परिवीक्षा अवधि न्यूनतम 02 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है,** को ग्रीष्मकालीन अवकाश/विशेष अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

10– साथ ही न्यायालय/अनुविभाग में पदस्थ समस्त कर्मचारीगण **सामुहिक रूप से एक साथ एकत्र कर अवकाश आवेदन पत्र कार्यालय में प्रेषित करें, पृथक–पृथक आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।**

इस आदेश का पालन किया जावें।

(पूरनचंद्र गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

21 APR 2026

प्रतिलिपि – 3008

1. समस्त पीठासीन/प्रभारी अधिकारी, जिला मुख्यालय उज्जैन एवं तहसील मुख्यालय खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. जिला नाजिर, उज्जैन/नायब नाजिर, खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर **समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परिचालन** कराये जाने हेतु प्रेषित ।

3. श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त परिपत्र की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के ई–मेल आई.डी./व्हाट्स–अप पर प्रेषित करें।

(पूरनचंद्र गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)